1036/22

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02612135018248U
Certificate Issued Date	:	17-Jan-2022 01:07 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14316704/ NAWABGANJ SADAR/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1431670495837757809682U
Purchased by	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GATA NO-282/1 MIN, SITUATED AT VILL-MATI, PARGANA-DEWA, TEHSIL-NAWBAGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	LAIQ AHMAD AND OTHERS
Second Party	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Paid By	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,00,000 (Four Lakh only)

VERIFY-BY

Please write or type below this line

IN-UP02612135018248U

F B INFRA DEVELOPERS LLP

C 0027191174

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ARPIT SRIVASTAVA
ACC No.-UP14316
LICENCE No.-5

F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER

Generated on 17-Jan-2022 01:07 PM

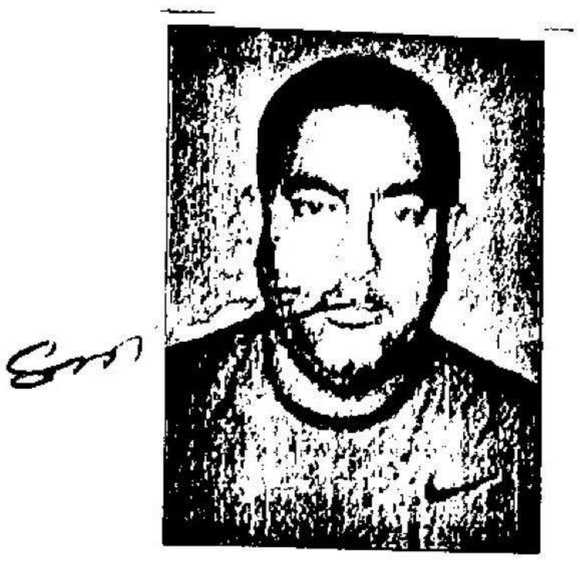

(2)

विक्रय - पत्र

बिक्री 80,00,000/- मॉलियत 29,73,000/- ई-स्टाम्प 4,00,000/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	देवां
3.	ग्राम	-	माती (वी कोड 1188 पृष्ठ 42)
4.	सम्पत्ति का विवरण भूमि नं0-		282/1मि0
5.	यूनिक कोड	-	164581002821011 2
6.	मापन की इकाई	-	हेक्टेअर
7.	बिक्रीत क्षेत्रफल	-	0.1930 हेक्टेअर
8.	सड़क की स्थिति	-	आउटर रिंग रोड से 60 मीटर की दूरी पर
9.	अन्य	-	0 से 100 मी0 की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि

FB INFRA DEVELOPERS LLP

10. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि
11. पेड़ों का मूल्यांकन - कुछ नहीं
12. बोरिंग कुआं व अन्य - कुछ नहीं
13. सरकारी दर - 1,10,00,000/- प्रति हे0 व 4,500/- प्रति वर्ग मी0

13. प्रतिफल की धनराशि - 80,00,000/

14. **चौहद्दी :-**

पूरब - भूमि मो0 गुफरान आदि
पश्चिम- चकमार्ग
उत्तर - भूमि मो0 इदरीश
दक्षिण - भूमि क्रेता

FB INFRA DEVELOPERS LLP

प्रथम पक्ष संख्या 2

विक्रेता का विवरण

1. लईक अहमद पुत्र स्व0 मो0 अजीम
2. श्रीमती सुरैय्या खातून पत्नी स्व0 मो0 अजीम

निवासीगण- ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय- कृषि/गृहिणी।

Adhar No- 5194 3147 9411
Pan No- FSIPS6349D
Adhar No- 2058 6557 7484
Pan No- HVIPK5293P
M.No-8299556363

द्वितीय पक्ष संख्या 1

क्रेता का विवरण

एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0
(DIN No-08242763)
(Pan No-AAHFF4066A)
पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच।

व्यवसाय- व्यापार

Adhar No-4322 6846 0148
M.No- 6393477103

FB INFRA DEVELOPERS LLP

-: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण :-

हम 1. लईक अहमद पुत्र स्व0 मो0 अजीम 2. श्रीमती सुरैय्या खातून पत्नी स्व0 मो0 अजीम निवासीगण- ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0 पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि प्रथम पक्ष की आराजी गाटा संख्या 282/1मि0 रकबा 0.1930हे0 जो ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है। जिसके प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर हैं। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्षों के स्वामित्व व कब्जे में है। कोई अन्य व्यक्ति उनके भाग में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी के अपने सम्पूर्ण भाग अर्थात् 0.1930हे0 (शून्य दशमलव एक नौ तीन शून्य हे0) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 80,00,000/- अस्सी लाख जिसके आधे 40,00,000/- चालीस लाख रूपया होते हैं ----

FB INFRA DEVELOPERS LLP

شریا خاتون

के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य जरिये आर0टी0जी0एस0/चेक के द्वारा इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका हैं। यदि लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा 20,000/- रूपये से अधिक का नगद लेन-देन किया गया है। यदि इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसकी हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। हम प्रथम पक्ष इकरार करते हैं कि अब आज से हम प्रथम पक्ष या हमारे किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध बिक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी हैं जो चाहे करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष व मेरे वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत भूमि किसी मुख्य सड़क व अन्य सड़क व खड़न्जा मार्ग पर स्थित नहीं है। विदित हो कि आयकर अधिनियम 1961 के नियमानुसार पक्षकार द्वारा टी0डी0एस0 जमा कर दिया जायेगा। ----

FB INFRA DEVELOPERS LLP

इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया हैं। इसमें कोई निर्माण नहीं है बिक्रीत भूमि में कोई पेड़ व बोरिंग व कुऑ नहीं है। बिक्रीत भूमि की 0 से 100 मी0 त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान हैं। परन्तु 0 से 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आवासीय व व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधि विद्यमान नही है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हे। विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। विक्रीत भूमि की 0 से 100 मीटर की त्रिज्या मे आवासीय गतिविधि विद्यमान होने के कारण विक्रीत भूमि में से 0.025हे0 (250 वर्ग मीटर) भूमि की मालियत निर्धारित सरकारी बेसिक दर 4,500/- प्रति वर्गमीटर के अनुसार मु0 11,25,000/- रूपया होती है व शेष भूमि 0.168हे0 भूमि की मालियत 0 से 100 मी0 की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि होने के कारण 1,10,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से मालियत मु0 18,48,000/ रूपया होती है। इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत मु0 29,73,000/-रूपया होती है। परन्तु विक्रय मूल्य मु0 80,00,000/- रूपया है जो कि अधिकतम है। जिसपर अधिसूचना आदेश संख्या-स0वि0क0नि0-5-2756/11-2008 -500(165)/2007लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 4,00,000/- रूपया जरिये ई-स्टाम्प अदा किये गये हैं। ----

FB INFRA DEVELOPERS LLP

आवेदन सं०: 202200898001213

विक्रय पत्र

वर्ष: 2022

रजिस्ट्रेशन सं०: 1036

बही सं०: 1

प्रतिफल- 8000000 स्टाम्प शुल्क- 400000 बाजारी मूल्य - 2973000 पंजीकरण शुल्क - 80000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 80080

श्री लईक अहमद ,
पुत्र श्री स्व० मो० अजीम
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 17/01/2022 एवं 02:57:46 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनीता बाजपेयी .
उप निबंधक सदर
बाराबंकी
17/01/2022

वीना झां
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

चौहद्दी :- (8)

पूरब - भूमि मो0 गुफरान आदि

पश्चिम- चकमार्ग

उत्तर - भूमि मो0 इदरीश

दक्षिण - भूमि क्रेता

लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। विक्रेता व क्रेता के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल साक्ष्यों के आधार पर की गयी है। जिसकी फोटो प्रति प्रपत्र के साथ संलग्न है। विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है। उभयपक्ष ने प्रस्तुत लेखपत्र को सुन/पढ़ व समझकर स्वीकार किया है। विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं हैं और न ही स्थगन आदेश पारित है। ----

FB INFRA DEVELOPERS LLP

आवेदन सं०: 202200898001213

वर्ष: 2022

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 1036

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री लईक अहमद, पुत्र श्री स्व० मो० अजीम

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2

श्रीमती सुरैय्या खातून, पत्नी श्री स्व० मो० अजीम

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

श्री एफ०बी० इन्फ्रा डेवलपर्स एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर संतोष कुमार सिंह, पुत्र श्री कमल बहादुर सिंह

निवासी: ग्राम कटहा कारीपुरवा सबलापुर जिला बहराइच।

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अखिलेश सिंह, पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व पोस्ट खेमापुर जिला अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री आशीष कुमार उपाध्याय एडवोकेट, पुत्र श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय

निवासी: सिविल कोर्ट बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनीता बाजपेयी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

वीना झा
निबंधक लिपिक

चस्पा-फोटो

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
गाटा संख्या - 282/1मि0
विक्रेता - लईक अहमद आदि
क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0
पार्टनर संतोष कुमार सिंह

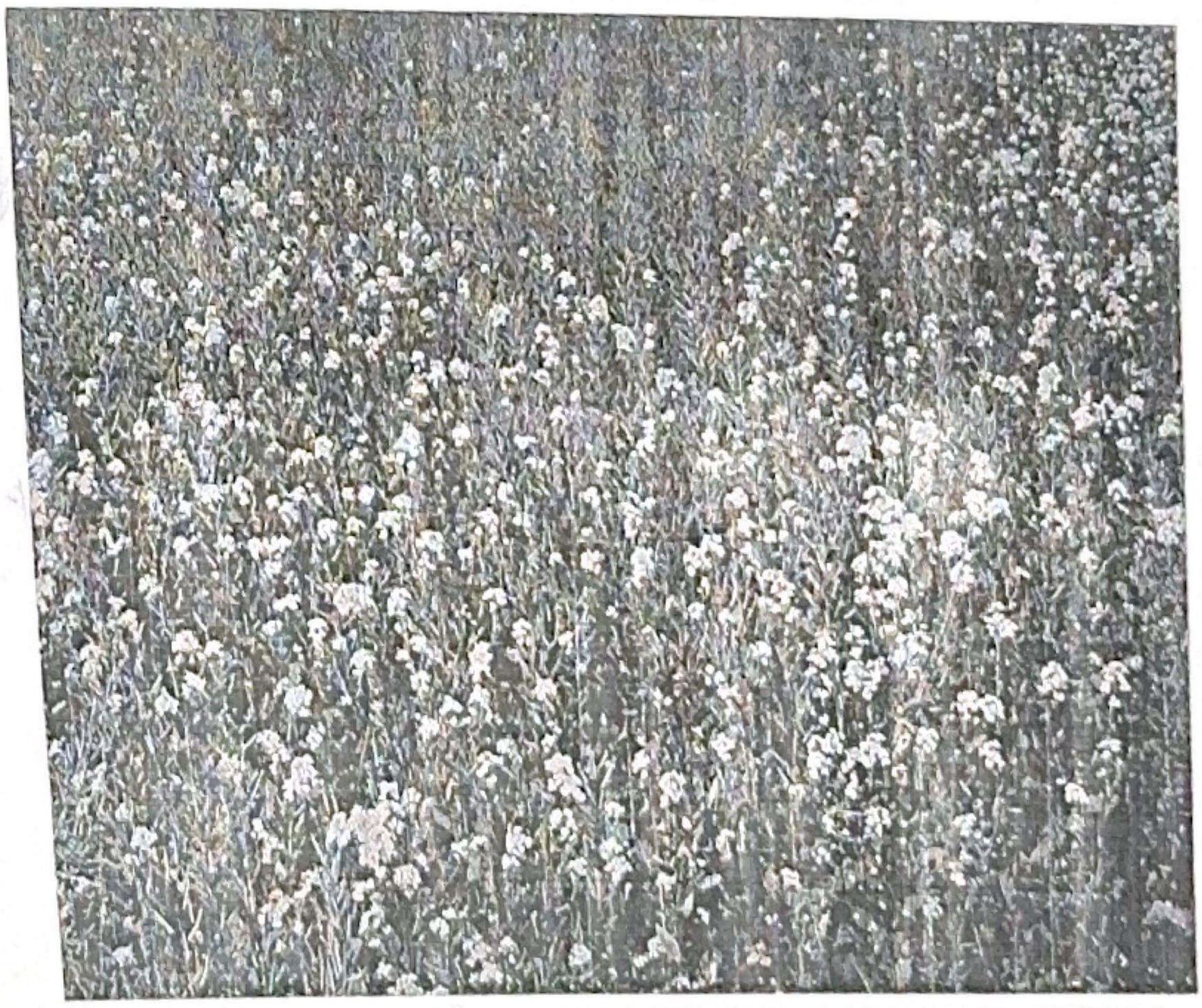

विक्रेता

क्रेता

FB INFRA DEVELOPERS LLP

लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति नहीं है।
दिनांक 17.01.2022

FB INFRA DEVELOPERS LLP

शरीयत खान

गवाह 1
अखिलेश सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट खेमापुर,
जिला अम्बेडकरनगर
Adhar No- 6740 5298 9087
M.No-9653030866

गवाह नं02
आशीष कुमार उपाध्याय एडवोकेट
पुत्र सुरेश चन्द्र उपाध्याय
सिविल कोर्ट बाराबंकी
जि0बा0पं0सं0-1254
मो0नं0-9336371204

मसविदाकर्ता

आशीष कुमार उपाध्याय
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, बाराबंकी

आवेदन सं०: 202200898001213

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14733 के पृष्ठ 277 से 298 तक क्रमांक 1036 पर दिनाँक 17/01/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनीता बाजपेयी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
17/01/2022

न्यायालय :- उपजिलाधिकारी,(न्यायिक)
मण्डल :अयोध्या , जनपद :बाराबंकी , तहसील :नबाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2022412480121823
वाद संख्या:- 21823/2022
एबीइन्फ्र डेवलपर्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 12/12/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी ग्राम कटहा काजीपुरवा सबलापुर जनपद बहराइच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.09.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 03.12.2022 के आधार पर वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00649 की गाटा संख्या 282/1मि0 रक्बा 0.193हे0 भूमि स्थित ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर गैरकृषिक गतिविधियॉ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैरकृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनंाक 03.12.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी का नाम खतौनी वर्ष 1427-1432फ0 की खाता संख्या 00649 की गाटा संख्या 282/1मि0 रक्बा 0.193हे0 माल गुजारी रू0 7.10 को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

1-धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्त्रतगत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान- **एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी पार्टनर संतोष कुमार सिंह** पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी ग्राम कटहा काजीपुरवा सबलापुर जनपद बहराइच।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षे0/माल गुजारी- 00649/0.193/रू0 7.10

गाटा संख्या/आवेदित अंश: **गाटा संख्या 282/1मि0 रक्बा 0.193हे0**

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू0 11580-00 व स्टाम्प शुल्क रू0 11580-00

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादी के आवेदित रकबा 0.193हे0 पर आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्त्रतगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 11580-00 चालान संख्या आर0ए0जे0 220047537/10.12.2022 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 चालान संख्या 5400/01/एल0 900085/09.12.2022 व स्टाम्प शुल्क रू0 11580 का ई0 स्टाम्प संख्या आई0एन0-यू0पी0-74372121555107यू0/09.12.2022 आवेदक द्वारा दाखिल किया गया है।

3. In case of any discrepancy

F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER F B INFRA DEVELOPERS LLP

4

5- चूँकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नही हैं।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00649 की गाटा संख्या 282/1मि0 रक्बा 0.193हे0 माल गुजारी 7.10 भूमि को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदित रकबा 0.193हे0 गैरकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 11580-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 11580-00 का ई-स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी वर्ष 1427-1432फ0 की खाता संख्या 00649 की गाटा संख्या 282/1मि0 रक्बा 0.193हे0 पर दर्ज एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि को धारा-80(2) उ0प्र0 रा0 सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नहीं होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की महायोजना पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- दिसम्बर,2022

(विश्वमित्र सिंह)

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)

नवाबगंज-बाराबंकी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में **उपलब्ध अद्यतन सूचना पर** आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी।

2. The onus of checking the legitimacy is on the users
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"